

कार्यालय सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर

क्रमांक : 5


दिनांक : 5-3-21

नोटिस

सवाई माधोपुर बाईपास के लिए की गई भूमि अवाप्ति से सम्बन्धित हितधारी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है। कि उक्त बाईपास के लिए आवाप्त की जाने वाली भूमि का अवाई इस कार्यालय के पत्रांक 1252 दिनांक 28.12.2020 को घोषित किया जा चुका है। जिसका अनुमोदन राज्य सरकार के पत्र क्रमांक F.2(10)/PW/AS/2015/D-352 दिनांक 09.02.2021 को किया जा चुका है। इसका विवरण अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय को सम्बन्धित अनुभाग कार्यालय सवाई माधोपुर में देखा जा सकता है।

अतः सम्बन्धित हितधारी व्यक्तियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वह अपना निम्न विवरण दस्तावेज इस कार्यालय में शीघ्र प्रेषित करें ताकि उसके अनुसार प्राप्त बजट अनुसार हितधारियों के खाते में शीघ्र ऑन लाईन राशि भुगतान की कार्यावाही की जा सके।

1. प्रार्थना पत्र
2. बैंक की पास-बुक की फोटो प्रति एवं आधार कार्ड की प्रति (स्वयं द्वारा प्रमाणित)
3. वर्तमान जमाबंदी की नकल।
4. शपथ पत्र प्रारूप अनुसार।


सक्षम भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड
अधिकारी सवाई माधोपुर

पकीश
रा. 1. 1